Received: Apr '22
Revised:
Accepted: May '22

© 2022 by the authors. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

CRITICAL STUDY AND ANALYSIS OF THE WORKING OF AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEES IN THE CONTEXT OF NARMADAPURAM DIVISION

कृषि उपज मंडी समितियों की कार्याप्रणाली का आलोचनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण नर्मदापुरम संभाग के संदर्भ मे

Duegesh Nandini Agarwal[1] and Dr. Sarita Digwani[2]
[1]Research Scholar Mansarovar Global University, Sehore (M.P)
[1]Faculty of Govt. College Timarni, Dist- Harda (M.P)
[2]Professor of Commerce Science, Mansarovar Global University, Sehore (M.P)

ABSTRACT

Agricultural markets are mostly established and regulated under various state APMC Acts. For the regular and all-round development of agricultural production, on the basis of the recommendation of the National Agriculture Commission, provision has been made for the formation of the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board in the year 1973 in the Mandi Act. Functioning of Agricultural Produce Market Societies Hoshangabad (Narmadapuram) APMC usually consists of representatives of farmers, traders, warehousing institutions, registrars of cooperative societies, etc.

कृषि बाजार ज्यादातर विभिन्न राज्य एपीएमसी अधिनियमों के तहत स्थापित और विनियमित होते हैं। कृषि उत्पादन के नियमित एवं सर्वांगीण विकास के लिये राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन का प्रावधान वर्ष 1973 में मण्डी अधिनियम में किया गया है। कृषि उपज मंडी समितियों की कार्यप्रणाली होशंगाबाद (नर्मदापुरम्) एपीएमसी में आमतौर पर किसानों, व्यापारियों, वेयर हाउसिंग संस्थाओं, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार आदि के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

Keywords: कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी),

परिचय

भारत के संविधान के तहत, कृषि विपणन एक राज्य (प्रांतीय) विषय है। जबकि अंतर–राज्य व्यापार राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, अंतर–राज्यीय व्यापार केंद्र या संघीय सरकार के अंतर्गत आता है (कच्चे जूट, कपास, आदि जैसी कुछ वस्तुओं में अंतर–राज्य व्यापार सहित),। इस प्रकार, कृषि बाजार ज्यादातर विभिन्न राज्य एपीएमसी अधिनियमों के तहत स्थापित और विनियमित होते हैं। कृषि उत्पादन के नियमित एवं सर्वांगीण विकास के लिये राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन का प्रावधान वर्ष 1973 में मण्डी अधिनियम में किया गया है। अधिकांश राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कृषि उपज बाजारों के विकास और कृषि वस्तुओं की खरीद और बिक्री की एक कुशल प्रणाली प्राप्त करने के लिए कानून (कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम) अधिनियमित किया है। जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर और दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, देश के अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऐसे राज्य विपणन कानून बनाए हैं। इन अधिनियमों का उद्देश्य मूल रूप से एक ही है अर्थात व्यापार प्रथाओं का विनियमन, बाजार शुल्क में कमी के माध्यम से बाजार की दक्षता में वृद्धि, अनावश्यक बिचौलियों का उन्मूलन और उत्पादक–विक्रेता के हितों की रक्षा करना।

राज्य में पूरे भौगोलिक क्षेत्र को विभाजित किया गया है और प्रत्येक को एक बाजार क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है जिसका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा गठित बाजार समिति (एपीएमसी) द्वारा किया जाता है। राज्य एक मार्केट बोर्ड भी बनाते हैं जो इन मार्केट कमेटियों की निगरानी करता है। एपीएमसी में आमतौर पर किसानों, व्यापारियों, वेयरहाउसिंग संस्थाओं, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार आदि के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बाजार बोर्डों में आमतौर पर सभी एपीएमसी के अध्यक्ष, संबंधित सरकारी विभागों के प्रतिनिधि आदि होते हैं। एक बार जब किसी विशेष क्षेत्र को बाजार क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और बाजार समिति के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, तो किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को थोक विपणन गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति नहीं होती है। एपीएमसी अधिनियम प्रदान करते हैं कि क्षेत्र में उत्पादित अधिसूचित कृषि वस्तुओं जैसे अनाज, दालें, खाद्य तिलहन, फल और सब्जियां और यहां तक कि चिकन, बकरी, भेड़, चीनी, मछली आदि की पहली बिक्री केवल के तत्वावधान में आयोजित की जा सकती है। एपीएमसी, अपने लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंटों के माध्यम से, और विभिन्न करों और शुल्क के भुगतान के अधीन। इस प्रकार कृषि उत्पादों के उत्पादकों को इन बाजारों में अपनी पहली बिक्री करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी)

कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) राज्य सरकार द्वारा जारी कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के तहत कुछ अधिसूचित कृषि या बागवानी या पशु धन उत्पादों में व्यापार के संबंध में एक राज्य सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक बाजार समिति है। APMC के लिए जिम्मेदार होने का इरादा है:

1. बाजार क्षेत्र में हो रहे मूल्य निर्धारण प्रणाली और लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना
2. किसानों को बाजार आधारित विस्तार सेवाएं प्रदान करना
3. उसी दिन किसानों द्वारा बेची गई कृषि उपज का भुगतान सुनिश्चित करना
4. कृषि उत्पाद में मूल्यवर्धन के लिए गतिविधियों सहित कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना
5. बिक्री के लिए बाजार क्षेत्र में लाए गए कृषि उत्पादों की आवक और दरों पर डेटा का प्रचार करना तथा कृषि बाजारों के प्रबंधन में सार्वजनिक–निजी भागीदारी को स्थापित और बढ़ावा देना एपीएमसी में या उसके आसपास उपलब्ध विशिष्ट सुविधाएं हैं– नीलामी हॉल, तौलपुल, गोदाम, खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकानें, कैंटीन, सड़कें, रोशनी, पीने का पानी, पुलिस स्टेशन, डाकघर, बोर–वेल, गोदाम, किसान सुविधा केंद्र, टैंक जल उपचार संयंत्र, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, शौचालय ब्लॉक आदि।

कृषि उत्पाद बाजार समितियां (एपीएमसी) बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण की घटनाओं को खत्म करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विपणन बोर्ड है, जहां उन्हें अपनी उपज बेहद कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। सभी खाद्य उपज को बाजार में लाया जाना चाहिए और नीलामी के माध्यम से बिक्री की जाती है। मार्केट प्लेस यानी मंडी राज्यों के भीतर विभिन्न स्थानों पर स्थापित है। ये बाजार भौगोलिक रूप से राज्य को विभाजित करते हैं। व्यापारियों को एक बाजार के भीतर काम करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। मॉल मालिकों, थोक व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों को सीधे किसानों से उपज खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. मंडी समितियों का गठन का अध्ययन
2. कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) का अध्ययन

एपीएमसी क्या है ?

कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) राज्य सरकार के अधीन संचालित एक प्रणाली है क्योंकि कृषि विपणन राज्य का विषय है। एपीएमसी के पास बाजार क्षेत्र में यार्ड/मंडियां हैं जो अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन को नियंत्रित करती हैं। एपीएमसी की शुरूआत लेनदारों और अन्य बिचौलियों के दबाव और शोषण के तहत किसानों द्वारा संकट बिक्री की घटना को सीमित करने के लिए की गई थी। एपीएमसी किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है। एपीएमसी कृषि व्यापार प्रथाओं के नियमन के लिए भी जिम्मेदार है। इसके परिणाम स्वरूप कई लाभ होते हैं जैसे: अनावश्यक बिचौलियों को समाप्त कर दिया जाता है बाजार शुल्क में कमी के माध्यम से बेहतर बाजार दक्षता उत्पादक–विक्रेता हित अच्छी तरह से संरक्षित हैं

मंडी समितियों का गठन

मंडी समिति की स्थापना तथा उसका निगमन

1. प्रत्येक मंडी क्षेत्र के लिये एक मंडी समिति होगी जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण मंडी क्षेत्र पर होगी ।
2. प्रत्येक मंडी समिति उस नाम से, जो कि ऐसी मंडी के लिये धारा 4 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, एक निगमित निकाय होगी, 1 उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगी तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा और ऐसे निर्बन्धनों के, जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किये जायें, अध्यधीन रहते हुए, वह संविदा करने के लिये तथा किसी भी सम्पत्ति को अर्जित करने, धारण करे, पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अंतरित करने के लिये और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक समस्त अन्य बातें करने के लिये सक्षम होगी।
3. परन्तु कोई भी स्थावर सम्पत्ति प्रबंध संचालक की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना अर्जित नहीं की जायेगी । परन्तु यह और कि कोई भी स्थावर संपत्ति राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए नियमों में विहित रीति से भिन्न रीति में विक्रय के द्वारा, पट्टे के द्वारा या अन्यथा अन्तरित नहीं की जाएगी ।
4. तत्समय प्रवृत्त किसी भी अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, प्रत्येक मंडी समिति समस्त प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी समझी जायेगी ।

कृषि उपज एवं थोक व्यापार होषंगाबाद

नगर की प्रमुख गतिविधि कृषि उपज एवं थोक व्यापार है। कृषकों द्वारा पार्ष्व क्षेत्रों से कृषि उपज मुख्यतः विक्रय हेतु होषंगाबाद नगर में लाई जाती है। छोटे व्यापारियों द्वारा भी प्राथमिक बाजारों से कृषि उपज यहां विक्रय हेतु लाई जाती है। होषंगाबाद मण्डी में विक्रय हेतु लाई गई कृषि उपज का विवरण सारणी 2–सा–2 में दर्षया गया है–

होषंगाबाद : कृषि उपज

स्त्रोत : कृषि उपज मंडी, होशंगाबाद

थोक व्यापार– ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों।

स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण– ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो।

साप्ताहिक बाजार/अनौपचारिक समूह इकाई – बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो।

अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर करती है। होशंगाबाद सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। भूमि काफी उपजाऊ है और किसानों को सालभर तवा जलाशय से नहर सिंचाई की अच्छी सुविधा मिलती है। किसान फसलों के रोटेशन को नियोजित करते हैं और उनकी प्रमुख आय सोयाबीन और गेहूं पर निर्भर करती है। जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यवसायों में लगे कई लोगों के साथ शहर में रहने का पारंपरिक तरीका है। शहर में पानी की प्रचुर उपलब्धता है। मध्य प्रदेश के शहरों में होशंगाबाद की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। मंडी एक बाज़ार है जहाँ किसान अपने उत्पादों को नीलामी के माध्यम से खरीददारों को बेचते हैं। मध्य प्रदेश में 500–600 विनियमित कृषि मंडियां हैं।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

1. मध्यप्रदेश राज्य में कृषि उपजों का बेहतर नियमन एवं नियंत्रण स्थापित करने, कृषि उपज के उत्पादको को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं उन्हें शोषण से मुक्त कराने, विक्रेताओं एवं क्रेताओं को सर्वसुविधायुक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा मंडियों में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 वर्ष 1973 दिनांक 1 जून 1973) से प्रभावशील किया गया है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है –

2. संशोधित प्रावधान के अनुसार अब मंडी समितियों के अधिपत्य की भूमि राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन नामांतरण की जा सकेगी।

3. राज्य की महिला नीति के अनुरुप मंडी समितियों के गठन में भी मंडी समितियों के कृषक प्रतिनिधियों एवं मंडी समितियों के अध्यक्षों के लिये एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये हैं।

4. शासन द्वारा वर्तमान मंडी फीस की दरें अधिसूचित कृषि उपज की कीमत के प्रत्येक रूपये 100/–पर रूपये 2/– के स्थान पर रूपये 1.50/–नियत है। जिन अधिसूचित कृषि उपजों पर वर्तमान में रूपये 1.50/– या उससे कम मंडी फीस की दर लागू है वह यथावत लागू रहेंगी।

5. प्रदेश में अधिसूचित कृषि उपजों का व्यापार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संबंधित मंडी समिति से नियमानुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त करना एवं अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के अधीन व्यापार करना अनिवार्य है। उल्लघंन की दशा में मंडी समिति द्वारा किसी भी समय दाण्डिक कार्यवाहियों के साथ–साथ अनुज्ञप्ति निलंबित तथा निरस्त की जा सकती है।

6. मंडी प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपजों का विक्रय खुली नीलामी पद्धति तथा नमूने के आधार पर भी नीलामी द्वारा सौदा पत्रकों के द्वारा किया जा सकता है।

7. कृषि उपज जिनका शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन समर्थन मूल्य घोषित किया हो ऐसी उपजों के लिये मंडी प्रांगण में कोई भी बोली समर्थन मूल्य से कम कीमत पर प्रारंभ नहीं होने दी जायेगी।

8. मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण/क्रय केन्द्रों पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपजों का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में करना अनिवार्य है अन्यथा क्रेता द्वारा विक्रेता को 5 दिवस तक एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान दण्डस्वरुप देना होगा ओर 5 दिवस तक भी भुगतान न करने पर 6 वें दिन से क्रेता व्यापारी की अनुज्ञप्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी।

9. मंडी प्रांगण में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपजों की सही तौल मंडी के अनुज्ञप्ति धारी तुलैयों से चक्र पद्वति में कराये जाने का प्रावधान है तौल में अनियमित तापा ये जाने पर मंडी समिति द्वारा तुलैया की अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है।

10. मंडी प्रागंण में अधिसूचित कृषि उपजों की उसी दिन बिक्री ना होने पर मंडी समितियों के गादामों अथवा वेयरहाउस में उपज रखने की व्यवस्था है।

11. मंडी प्रांगण में कृषक–विक्रेता की ओर से कोई भी आढ़तिया कार्य नहीं कर सकता है और न ही कृषक–विक्रेता से कोई कमीशन उपज बिक्री के लिये वसूल किया जा सकता है।

12. राज्य सरकार में सहकारिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मंडी समितियों को प्राप्त होने वाली समस्त आय एवं मंडी बोर्ड को प्राप्त होने वाली समस्त निधि सहकारी बैंको में जमा करना अनिवार्य है।

13. फल–सब्जी विक्रय की वैकल्पिक सुविधा:–मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 6 में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (तृतीय संशोधन) अधिनियम 2011 से संशोधन किया जाकर फल–सब्जी को मंडी प्रांगण के बाहर विक्रय करने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मंडी प्रांगण के बाहर क्रय–विक्रय की गई फल–सब्जी को विनियमन से मुक्त रखा गया है।

अतः केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में उपज खरीद बिक्री को लेकर अहम बदलाव किए हैं| पहला आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन दूसरा कृषि उपज का बाधा मुक्त व्यापार एवं तीसरा मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020 यह सभी बदलाव किसानों की उप बिक्री के लिए महत्वपूर्ण हैं | अभी तक के नियमों के कारणजहाँ किसान अपनी उपज को नजदीक की मंडियों एवं व्यापारियों को बेचने को मजबूर थे उन नियमों में सरकार द्वारा परिवर्तन किया गया है। यह नियम सरकार द्वारा एक देश, एक कृषि बाजार एवं बाधा मुक्त व्यापार एक राज्य से दुसरे राज्यों में उपज खरीदने बेचने आदि नियमों में परिवर्तन किया गया है। किसान अपनी उपज का सही दाम मिल सके एवं अपनी फसल आसानी से बेच सके इसके लिए अब निजी मंडियां खोलने की योजना है मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ निजी मंडियां खोलने के लिए मंडी अधिनियम में परिवर्तन किया गया है । मुख्यमंत्री श्री षिवराज चौहान मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठक मध्यप्रदेश कृषिउपज मंडी अधिनियम (संशोधन) विधेयक– 2020 के प्रावधानों पर चर्चा कर रहे है ।

उपसंहार–सरकार द्वारा एक देश, एक कृषि बाजार एवं बाधा मुक्त व्यापार एक राज्य से दुसरे राज्यों में उपज खरीदने बेचने आदि नियमों में परिवर्तन किया गया है। कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) राज्य सरकार के अधीन संचालित एक प्रणाली हैक्योंकि कृषि विपणन राज्य का विषय है। एपीएमसी के पासबाजार क्षेत्र में यार्ड/मंडियां हैं जो अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन को नियंत्रित करती हैं। एपीएमसी की शुरूआत लेनदारों और अन्य बिचौलियों के दबाब और शोषण के तहत किसानों द्वारा संकट बिक्री की घटना को सीमित करने के लिए की गई है ।

संदर्भग्रंथ सूची

1. मिश्र, जयप्रकाश, (2014), कृषि अर्थशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा।

2. केडियाँ, ओंकार, (2013), कृषि विकास की कुंजी; योजना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पटियाला हाऊस,नईदिल्ली।

3. यादव, सत्यभान, (2021), कृषि विपणनः प्रभावी व्यवस्था की आवश्यक्ता, कुरूक्षेत्र,
4. सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पटियाला हाऊस, नईदिल्ली।
5. पाण्डेय, आलोक, (2020), उत्तरप्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के ग्रामीण विकास में ग्राम प्रधानों की भूमिका, कुरूक्षेत्र, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली।
6. शर्मा, ओ. पी., (2019), भारतीय अर्थव्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, सबलाइन पब्लिकेशन्स, जयपुर।
7. अग्रवाल हरीश, (2016), "कृषि विकास एवं भावी सम्भावनाएँ।
8. सुरेका, मुंगालाल, (2019), ग्रामिण भारत समस्याएँ एवं समाधान प्रिन्ट वैल,जयपुर
9. हैदर, सैयदसलमान, (2015), "सही पटरी पर दौड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था।
10. श्रीवास्तव, एस.एस., (2015), "कृषि वानिकी,सेन्ट्रल बुक हाउस, रायपुर।
11. उमाहिया, कृष्ण कुमार, (2019), कृषि विकास की समस्याएँ मित्तल पब्लिकेशंस, नईदिल्ली।
12. यादव, सुबहसिंह, (2019), कृषि अर्थव्यवस्था,रावत पब्लिकेशं, जयपुर।
13. जैन, हेमचन्द्र, (2019), कृषि वित्त सिद्धांत एवं व्यवहार, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।